5162/दो-6-14

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–3

संख्या 2047 / 47–का–3 / 2014–13 / 94 / 99 टी0सी0-9(1)
लखनऊः दिनांक 27 अगस्त, 2014

विधायी विभाग द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (द्वितीय) अध्यादेश, 2014 अधिसूचना संख्या 1013 / 79–वि–1–14–2(क)–12–2014, दिनांक 28 जुलाई, 2014 की प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

3–प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

4–प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उ0प्र0।

5–अध्यक्ष / सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

6–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

7–अनुसचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।

8–नियुक्ति अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

9–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

10–अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
पी0 बी0 सिंह,
अनुसचिव।

28/8/14

क्रम-संख्या—161

रजिस्ट्रेशन नं०—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2011—13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 28 जुलाई, 2014
श्रावण 6, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1013 / 79-वि-1—14-2(क)-12-2014

लखनऊ, 28 जुलाई, 2014

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (द्वितीय) अध्यादेश, 2014 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2014) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (द्वितीय) अध्यादेश, 2014

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2014)

[भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

अधीनस्थ सेवा की कतिपय श्रेणियों के लिए राज्य में एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है ;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (द्वितीय) अध्यादेश, 2014 कहा जायेगा।

(2) यह 20 जून, 2014 से प्रवृत्त माना जायेगा।

लागू होना

2—इस अध्यादेश के उपबन्ध समूह 'ख' से निम्न समूह 'ग' के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत सचिवालय के पद भी हैं, और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह 'ग' के पदों पर भी लागू होंगे :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य-क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है।

अपवाद

3—इस अध्यादेश की कोई बात,—

(क) राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के सचिवालय में ;

(ख) उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय के अधीन ;

(ग) राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन;

(घ) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 के अधीन नियुक्त लोक आयुक्त के अधीन ;

(ङ) पुलिस अधिनियम, 1861 द्वारा शासित, किसी पद पर भर्ती के संबंध में लागू नहीं होगी।

परिभाषायें

4—जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में,—

(क) "नियुक्त प्राधिकारी" का तात्पर्य, किसी सेवा या पद के सम्बन्ध में, ऐसी सेवा में या पद पर नियुक्त करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "आयोग" का तात्पर्य धारा 5 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है;

(घ) "समूह 'ग' के पद" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है;

(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;

(च) "अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों से है;

(छ) "सचिव" का तात्पर्य आयोग के सचिव से है;

(ज) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है, जिसमें भर्ती की जानी है।

अध्याय –दो

आयोग की स्थापना

आयोग की स्थापना

5—(1) ऐसें दिनांक को और से, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, एक आयोग स्थापित किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नाम से जाना जायेगा।

(2) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 2006) के उपबन्धों के अधीन स्थापित आयोग के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवाएं, जो उस आयोग में इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सेवारत थे, आयोग को उसकी स्थापना के दिनांक को और दिनांक से अन्तरित हो जायेंगी।

आयोग की संरचना

6—(1) आयोग में एक अध्यक्ष और आठ से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर नियुक्त करे:

परन्तु यह कि कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा किन्तु अपनी पदावधि के पश्चात् सदस्य या अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति या पद पर बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए या यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो ऐसे कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति जब तक कि उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति पद ग्रहण न कर ले या, जब तक कि अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः ग्रहण न कर ले, ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति

7—अध्यक्ष और अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाएंगे:

परन्तु यह कि जहां तक हो सके, आयोग के आधे सदस्य वे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपनी-अपनी नियुक्ति के दिनांक को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन समूह 'क' के पदों पर कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण किये हों।

अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य

8—(1) अध्यक्ष आयोग के प्रशासन का प्रभारी होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:—

(क) एक या अधिक गैर सदस्यों सहित या उनके बिना सदस्यों में से समितियों या उप-समितियों का गठन करना;

(ख) सदस्यों, समितियों और उप-समितियों को ऐसा कार्य आवंटित करना जो इस अध्यादेश या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से आवंटित न किया गया हो;

(ग) आयोग एवं उसके सदस्यों के कार्य का समन्वय करना;

(घ) सदस्यों और आयोग के अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करना और उनके दौरे के कार्यक्रम को अनुमोदित करना।

(2) सदस्यगण, अभ्यर्थियों की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के संचालन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे और ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो उन्हें इस अध्यादेश या तद्धीन बनाए गये नियमों या विनियमों के द्वारा या उसके अधीन या अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवंटित किये जायँ।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

9—(1) अध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु यह कि कोई सदस्य, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है, अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या पाँच वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर, जो भी पहले हो, इस रूप में पदधारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष या अन्य सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकता है।

(3) अध्यक्ष या अन्य सदस्य को इस आधार पर कि उसने धारा 10 में विनिर्दिष्ट कोई अनर्हता प्राप्त कर ली है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा यथाविहित रीति में की गयी जांच जिसमें कि ऐसे सदस्य को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप सूचित किये गये हों और उन आरोपों के सम्बन्ध में उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर भी दिया गया हो, के पश्चात् कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।

अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिये अनर्हता

10—अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति अनर्ह हो जायेगा यदि वह —

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाए;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता हो, दोषसिद्ध हो और कारावास की सजा दी गयी हो;

(ग) अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो।

सहयुक्त करने की शक्ति

11—आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायं, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह व इस अध्यादेश के किन्ही उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए लेना चाहें।

आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

12—आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि —

(क) आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है;

(ख) अध्यक्ष या उसके अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है; या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ता है।

आयोग का सचिव

13–(1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया आयोग का एक सचिव होगा जो आयोग के कार्यालय का प्रधान होगा।

(2) सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अध्यादेश के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किये जायें या जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाय।

आयोग के आदेशों का अधिप्रमाणीकरण

14–आयोग के सभी विनिश्चय और आदेश सचिव या इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय–तीन

आयोग की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य का आवंटन

आयोग की शक्तियां और कर्तव्य

15–(1) आयोग की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात्:–

(क) भर्ती की रीति से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना;

(ख) परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना;

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञों का चयन और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना;

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसी विहित की जाय।

(2) आयोग, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में ऐसे नियमों और विनियमों द्वारा जैसे इस निमित्त बनाये जाएं, मार्गदर्शित होगा।

आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्य

16–आयोग, अपना कार्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या उसकी किसी समिति द्वारा अपने कृत्यों का सम्पादन करना भी है,सुविधा से करने के लिए राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बनायेगा और ऐसे विनियमों के अनुसार किया गया कार्य आयोग द्वारा किया गया कार्य समझा जायेगा :

परन्तु राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे विनियम को मूल या उपांतरित रूप में अपना अनुमोदन दे।

अध्याय–चार

रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना और नियुक्तियां

रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना

17–(1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और इस निमित्त तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

(2) रिक्तियां ऐसी रीति से आयोग को अधिसूचित की जायेंगी जैसी विहित की जाय।

आयोग द्वारा चयन

18–(1) आयोग, धारा 17 के अधीन रिक्तियों की सूचना के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र परीक्षा आयोजित करेगा या साक्षात्कार करेगा या दोनों ही करेगा और उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की ऐसी रीति से, जैसा विहित किया जाय, एक सूची तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जाएगी और नियुक्त प्राधिकारी इस प्रकार भेजी गयी सूची से उसमें उल्लिखित क्रम में नियुक्तियां करेगा।

अध्याय–पांच

आयोग के समक्ष कार्य

बैठक में निर्णय

19–आयोग की किसी बैठक में सभी मामलों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

गणपूर्ति

20–आयोग की किसी बैठक के लिए सदस्यों की कुल संख्या के आधे से गणपूर्ति होगी :

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

अध्याय–छः

वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट

21–आयोग प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के कार्यकलाप का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–सात

प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति

22–राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

23–(1) आयोग, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अध्यादेश के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के संबंध में जिसके अन्तर्गत इस अध्यादेश के अधीन चयन करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करने या साक्षात्कार करने या दोनों के लिए फीस लेना भी है, विनियम बना सकती है या उन्हें संशोधित कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम इस अध्यादेश या इसके अधीन बनाये गये नियमों, उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

सदभावना से किये गये कार्य का संरक्षण

24–किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अध्यादेश के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 5 सन् 2014

25–(1) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अध्यादेश, 2014 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अध्यादेश के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अध्यादेश के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

राम नाईक,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
एस0 बी0 सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 1013 (2)/LXXIX-V-1–14-2(Ka)-12-2014

Dated Lucknow, July 28, 2014

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhinasth Seva Chayan Ayog (Dwitiya) Adhyadesh, 2014 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 7 of 2014) promulgated by the Governor.

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION COMMISSION (SECOND) ORDINANCE, 2014

(U.P. ORDINANCE NO. 7 OF 2014)

[*Promulgated by the Governor in the Sixty-fifth Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

to provide for the establishment of a Subordinate Services Selection Commission in the State for certain categories of Subordinate Services and for matters connected therewith or incidental thereto;

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:–

CHAPTER-1

PRELIMINARY

Short title and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (Second) Ordinance, 2014.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 20, 2014.

Applicability

2. The provisions of this Ordinance shall apply in relation to direct recruitment to all Group 'C' posts below Group 'B' posts including posts in the Civil Secretariat and also to all Group 'C' posts in a Board or a Corporation or any other statutory body established by or controlled by the State Government:

Provided that the State Government may, by notification, withdraw from or add any post in the purview of the Commission.

Exception

3. Nothing in this Ordinance shall apply to recruitment to any post—

(*a*) in the Secretariat of each House of the State Legislature;

(*b*) under the High Court or a Court subordinate thereto;

(*c*) under the State Public Service Commission;

(*d*) under the Lok Ayukt appointed under the Uttar Pradesh Lok Ayukt and Up- Lok Ayukt Act,1975;

(*e*) governed by the Police Act,1861.

Definitions

4. In this Ordinance unless the context otherwise requires, —

(*a*) "Appointing authority", in relation to any service or post, means the authority empowered to make appointment to such service or post;

(*b*) "Commission" means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission established under section 5;

(*c*) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission ;

(*d*) "Group 'C' post" means the post specified as such by the State Government from time to time;

(*e*) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairperson;

(*f*) "Other backward classes" means the backward classes specified in Schedule-1 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994;

(*g*) "Secretary" means the Secretary of the Commission;

(*h*) "Year of recruitment" means the period of twelve months commencing on the first day of July of the Calendar year in which the recruitment is to be made.

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT OF THE COMMISSION

Establishment of the Commission

5. (1) On and from such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf, there shall be established a Commission to be known as the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission .

(2) The Services of every whole time employee of the Commission established under the provisions of the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Act, 2006 (U.P. Act no. 1 of 2006) serving in that Commission immediately before the commencement of this Ordinance shall stand transferred to the Commission on and from the establishment thereof.

Composition of the Commission

6. (1) The Commission shall consist of a Chairperson and such other Members not exceeding eight, as the State Government may from time to time appoint:

Provided that Member shall be eligible for appointment as Chairperson but shall not be eligible for re-appointment or continuance in office either as Member or Chairperson after the period of his term.

(2) If the office of the Chairperson becomes vacant or if the Chairperson by reason of absence or for any other reason is unable to perform the duties of his office, such duties shall, until some person appointed under sub-section (1) has assumed or, as the case may be, until the Chairperson has resumed his duties, be performed by such Member as the State Government may appoint for the purpose.

Appointment of Chairperson and Members

7. The Chairperson and other Members shall be appointed by the State Government:

Provided that as nearly as may be one half of the members of the Commission shall be the persons who on the date of their respective appointment have held office on Group 'A' post for at least ten years under the Government of India or under the State Government.

Powers and duties of Chairperson and other Members

8. (1) The Chairperson shall be incharge of the administration of the Commission and shall have the power to-

(*a*) constitute Committees or sub-committees from amongst the Members with or without one or more non-members;

(*b*) allocate to Members, committees and sub-committees such work as is not specifically allocated by this Ordinance, or rules or regulations made thereunder;

(*c*) co-ordinate the working of the Commission and its members;

(*d*) grant leave to and approve the tour programmes of members and officers of the Commission.

(2) The Members shall assist the Chairperson in conducting the examinations and interviews of candidates and do such other work as may be allocated to them by or under this Ordinance, the rules or regulations made thereunder, or by the Chairperson under clause (b) of sub-section (1).

Term of office and condition of service of Members

9. (1) The Chairperson or every other Member shall hold office for a term of five years from the date he assumes his office:

Provided that no Member including the Chairperson shall hold office as such after he has attained the age of sixty-eight years or he has completed his term, whichever is earlier.

(2) The Chairperson or other Member may, at any time, by writing under his hand addressed to the State Government resign from his office.

(3) The Chairperson or other Member may be removed from his office by an order made by the State Government on the ground that he has acquired any of disqualifications specified in section 10 or on the ground of misconduct or incapacity after an inquiry made by a Judge of the High Court in the manner as may be prescribed in which such Member has been informed of the charges against him and give a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

Disqualification for being the Chairperson or other Member

10. A person shall be disqualified for appointment as Chairperson or other Member if he-

(*a*) becomes an undischarged insolvent;

(*b*) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the State Government, involves moral turpitude;

(*c*) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court.

Power to associate

11. The Commission may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be determined by regulations made under this Ordinance, any person whose assistance or advice it may desire to have in carrying out any of the provisions of this Ordinance.

Proceedings of the Commission not to be invalidated

12. No act or proceedings of the Commission shall be deemed to be invalid merely on the ground of-

(*a*) any vacancy or defect in the constitution of the Commission;

(*b*) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as the Chairperson or other Member thereof ;

(*c*) any defect or irregularity in such act or proceeding not affecting the substance.

Secretary of the Commission

13. (1) There shall be a Secretary of the Commission appointed by the State Government, who shall be the Head of the Office of the Commission.

(2) The Secretary shall exercise such powers and perform such duties as may be specified in the rules or regulation made under this Ordinance or as may be directed by the Chairperson.

Authentication of the orders of the Commission

14. All the decision and orders of the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary or any other officer authorized by the Commission in this behalf.

CHAPTER-III

POWERS AND DUTIES OF THE COMMISSION AND ALLOCATION OF BUSINESS

Powers and duties of the Commission

15. (1)The Commission shall have the following powers and duties, namely:-

(*a*) to prepare guidelines on matters relating to the method of recruitment;

(*b*) to conduct examinations, hold interview and make selection of candidates;

(*c*) to select and invite experts and to appoint examiners for the purposes specified in clause (b);

(*d*) to perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed.

(2) In exercising the powers or performing the duties referred to in sub-section (1), the Commission shall be guided by such rules or regulations as may be made in this behalf.

Business to be transacted by Commission

16. The Commission shall, with previous approval of the State Government, make regulations for the convenient transaction of its business, including performance of its functions by the Chairperson or other Members or a committee thereof and the business transacted in accordance with such regulations shall be deemed to have been transacted by the Commission:

Provided that it shall be lawful for the State Government to accord approval to any such regulation either in original or in modified form.

CHAPTER-IV

NOTIFICATION OF VACANCIES AND APPOINTMENT

Notification of vacancies

17. (1) The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled through the Commission during the course of the year of recruitment as also the number of the vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other categories in accordance with the law for the time being in force in this behalf.

(2) The vacancies shall be notified to the Commission in such manner as may be prescribed.

Selection by the Commission

18. (1) The Commission shall, as soon as possible after the intimation of vacancies under section 17, hold examination or interview or both and prepare in such manner as may be prescribed a list of the candidates who are found suitable.

(2) The list referred to in sub-section (1) shall be forwarded to the appointing authority and the appointing authority shall make appointments from the list so forwarded to it in the order mentioned therein.

CHAPTER-V

BUSINESS BEFORE THE COMMISSION

Decision in meeting

19. All matters at any meeting of the Commission shall be determined by a majority of the members present and voting and in the case of equality of votes, the Chairperson, or in absence of the Chairperson the member presiding shall have a second or casting vote.

Quorum

20. The quorum for a meeting of the Commission shall be one-half of the total number of members:

Provided that no quorum shall be necessary for a meeting adjourned for want of quorum.

CHAPTER-VI

ANNUAL REPORTS

Annual reports

21. The Commission shall prepare every year, in such form and in such manner as may be prescribed, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year, and copies thereof shall be forwarded to the State Government and the State Government, shall cause the same to be laid before both the Houses of the State Legislature.

CHAPTER-VII

MISCELLANEOUS

Power to make rules

22. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Ordinance.

Power to make regulations

23. (1) The Commission may, with the previous approval of the State Government, make or amend regulations relating to the discharge of its functions under this Ordinance including charging of fees for holding examinations or interviews or both for making selection under this Ordinance.

(2) The regulations made under sub-section (1) shall not be inconsistent with the provisions of this Ordinance or the rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith

24. No suit, prosecution or other proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Ordinance.

U.P. Ordinance no. 5 of 2014

Repeal and saving

25. (1) The Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission Ordinance, 2014 if hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action is taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Ordinance as if the provisions of this Ordinance were in force at all material times.

RAM NAIK,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
S. B. SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 16 सा० नियुक्ति–(727)–2014–1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।